संख्या-686/2017/1155/22-2-2017-17(129)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामसिंह पुत्र श्री रामबक्श, निवासी-बेहटा गम्भीरपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। गैर कानूनी कामों का विरोध किये जाने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04-08-1988 को दोपहर में जवाहर रोजगार योजना सम्बन्धी अधिकारियों के साथ प्राइमरी पाठशाला में मीटिंग कर रहे ग्राम प्रधान शिवकुमार सिंह पर फरसा एवं कुल्हाड़ी से वारकर उसका सिर काट दिया तथा तमंचे से फायर करते हुए मृतक का सिर व धड़ नहर के पास ले जाकर धड़ के टुकड़े-टुकड़े कर नहर में बहा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-327/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 20.11.1992 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या- 2062/1992 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-04-1994 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2016 तक 26 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 07 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 52 वर्ष लगभग है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। गैर कानूनी कामों का विरोध किये जाने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04-08-1988 को दोपहर में जवाहर रोजगार योजना सम्बन्धी अधिकारियों के साथ प्राइमरी पाठशाला में मीटिंग कर रहे ग्राम प्रधान शिवकुमार सिंह पर फरसा एवं कुल्हाड़ी से वारकर उसका सिर काट दिया तथा तमंचे से फायर करते हुए मृतक का सिर व धड़ नहर के पास ले जाकर धड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के टुकड़े-टुकड़े कर नहर में बहा दिया। सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री राम बक्श सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम सिंह (बन्दी संख्या-25977) पुत्र श्री राम बक्श सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-686/2017/1155/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।